प्रकीर्ण वाद संख्या-१५९/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३६४/२०१९)
चैनू आदि बनाम जगदीश शिवहरे आदि
०५.१०.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण चैनू, श्रीमती बसन्ती व कु. सुखदेवी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की धनराशि न्यायालय में जमा कर दी है। उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील/स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमाशुदा धनराशि उनके पक्ष में रिलीज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी चैनू का शपथपत्र ४सी२ व प्रार्थीगण के बैंक खाते की छाया प्रतियाँ व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३६४/२०१९ चैनू आदि बनाम जगदीश शिवहरे आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी चैनू ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई भी अपील/स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. ३६४/२०१९ में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित १५.०७.२०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा उभय पक्ष के मध्य हुए सुलहनामा के आधार ६,४५,०००/- रु. का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त एवार्ड की धनराशि में से याची सं. १ व २ क्रमशः चैनू व श्रीमती बसन्ती प्रत्येक ३५-३५ प्रतिशत भाग मुब. ३,२५,७५०/-रु. ३,२५,७५०/-रु. प्राप्त करेगें, जिसमें से याची सं. १ व २ प्रत्येक का २५-२५ प्रतिशत भाग रु. ५६४३७.५० पैसे, रु. ५६४३७.५० पैसे वह नकद प्राप्त करेंगे जो उनके खाते में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाना है तथा याची सं. १ व २ प्रत्येक का ७५-७५ प्रतिशत भाग मुब. १६९३१२.५० पैसे, मुब. १६९३१२.५० पैसे ३ वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है तथा याची सं. ३ कु. सुखदेवी जो कि नाबालिग है, के नाम प्रतिकर की धनराशि में से ३० प्रतिशत भाग मुब १,९३,५००/- रु. जरिये संरक्षक पिता चैनू किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके वयस्क होने तक के लिए निवेशित की जानी है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी की सूचना/प्रार्थनापत्र एवं कार्यालय आख्या के अनुसार यू.टी.आर./रिफरेंस नं. २०११२०११९८५५२३५७ के माध्यम से उक्त प्रकरण में मुब. **६,४५,०००**/-रु. न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक में जमा हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में जमाशुदा धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक) शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३६१/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. १६०/२०२० हरीराम आदि बनाम प्रदीप विश्वनवी आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant / petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1.Chainu	169312.50	26.25	FD for 3Years.	___	Any Nationalized Bank	___
1.Chainu	56437.50	8.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010009894	SYNDICATE BANK GOVIND CHAURHA JHANSI	SYNB0009235
2.Smt. Basanti Devi	169312.50	26.25	FD for 3Years.	___	Any Nationalized Bank	___

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.08 15:10:07 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

2.Smt. Basanti Devi	56437.50	8.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010009880	SYNDICATE BANK GOVIND CHAURHA JHANSI	SYNB0009235
3. Kum. Sukh Devi	193500	30	FD upto Her Majority	___	Any Nationalized Bank	____
Total	645000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी।